

पेंशनर्स एसोसिएशन ने ज्ञान के माध्यम से पेंशनर्स की मांग है कि केन्द्र से भागे राहत प्रदान की जाए ,साथ ही म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 (6) को अविलंब समाप्त किया जाए ,वहीं राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार कैशलेस बीमा योजना लागू की जा रही है परंतु प्रीमियम के रूप में कर्मचारियों से एक प्रतिशत और पेंशनरों से चा